405

संख्या–1075/XXVIII(1)/2013-32/2003 TC-II Cover

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

2. अपर निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,
देहरादून,उत्तराखण्ड।

3. प्राचार्य,
समस्त राजकीय मेडिकल कालेज,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 08 मई, 2013

विषयः– **राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्नातक तथा परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर और हल्द्वानी में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–943/XXVIII(1)/2008-19/2005-T.C-IV, दिनांक 23.07.2008, संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या–974/XXVIII(1)/2008-19/2005-T.C-IV, दिनांक 04.08.2008 तथा शासनादेश संख्या-2735/दस-2005 8(9)/2004, दिनांक 23.07.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– राजकीय मेडिकल कालेजों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु उक्त संस्थानों द्वारा छात्रों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानकानुसार समस्त अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने तथा उनके आवर्ती व्ययों को सुचारू रूप से वहन किये जाने के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य में संचालित राजकीय मेडिकल कालेजों के स्नातक (एम0बी0बी0एस0) तथा परास्नातक (एम0डी0 / एम0एस0) पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क के पुनरीक्षण के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु शैक्षणिक सत्र 2013–14 से निम्नवत शिक्षण शुल्क लिए जाने का निर्णय लिया गया है:–

(धनराशि रूपये में)

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम	पूर्व निर्धारित शुल्क		शैक्षणिक सत्र 2013–14 से निर्धारित शिक्षण शुल्क	
		बॉण्ड धारक छात्रों हेतु	बॉण्ड न भरने वाले छात्रों हेतु	बॉण्ड धारक छात्रों हेतु	बॉण्ड न भरने वाले छात्रों हेतु
1.	एम0बी0बी0एस0	15,000.00	2,20,000.00	40,000.00	4,00,000.00
2	परा स्नातक पाठ्यक्रम एम0डी0 / एम0एस0	40,000.00 (वर्तमान में बॉण्ड लागू नहीं।)		60,000.00	5,00,000.00

3. उक्त पुनरीक्षित शिक्षण शुल्क की व्यवस्था उत्तराखण्ड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2013–14 में प्रवेशित बैच से लागू की जायेगी। उक्त सत्र से पूर्व प्रवेशित बैच से पूर्व निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जायेगा।

4. राजकीय मेडिकल कॉलेजों के शिक्षण शुल्क के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

उक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।